निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **217**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आधार हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ सी–98, 5 वीं मंजिल, सांघी उपसना टावर, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजकुमार माथुर
निवासी प्लाट नं॰ 14–बी, पंचवटी विहार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर एवं
हाउस नं॰ 42 जय हनुमान वाटिका, बास बदनपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. श्री गोपेश कुम्भज अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित है।

आदेश दिनांक 1-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को 26.10.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राजकुमार माथुर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 14–बी, पंचवटी विहार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर क्षेत्रफल 69.75 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 6,70,175/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नही हुआ ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.04.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः प्रातः काल एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 01.06.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी राजकुमार माथुर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 14–बी, पंचवटी विहार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर क्षेत्रफल 69.75 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 1-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर